

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम गीतादेवी पत्नि केशुराम जाति वाराचन्द पुत्र केशुराम, नाथूराम पुत्र हरदेव कुम्हार परसाराम पुत्र भैरूराम कुम्हार वगैरह कुचामनसिटी

पत्र नम्बर 116/202

GCMS No. 2022/231

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इन्लियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

03.04.2024

अप्राथी नाथूराम पुत्र हरदेव जाति कुम्हार कुचामनसिटी द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्राथी ने प्रार्थना-पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1290 में अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त रूप से खातेदारी भूमि आई हुई है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्राथी के विरुद्ध उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्राथीगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्राथीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.06.2022 को जारी की गई है। उपरोक्त खसरा की भूमि में से कुछ हिस्से की भूमि पर अपने परिवार के सदस्यों के निवास हेतु एवं पशुओं के रहवास एवं चारा पूस हेतु कुछ निर्माण कराया गया है। अब अप्राथीगण उपरोक्त भूमि का माननीय न्यायालय में राजस्व वाद प्रस्तुत कर बंटवारा करावाना चाहते हैं। अप्राथीगण कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लिये जाने से पूर्व निर्धारित रीति अनुसार प्राधिकारी अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी के यहाँ से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 -क के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अनुज्ञा प्राप्त करना चाहते हैं परन्तु प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा होने से आगे की कार्यवाही नहीं हो पा रही है, इसलिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभय पक्षकार को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, जवाब इत्यादि का अवलोकन किय गया। अप्राथी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना-पत्र में अंकित कथनो अनुसार प्रश्नगत भूमि आज दिन भी कृषि प्रयोजन उपयोग में ली जा रही है तथा अपने परिवार के रहवास एवं पशुओं के रहवास व चारा पूस हेतु कुछ हिस्सा उपयोग में लिया गया है। अप्राथीगण उपरोक्त भूमि का भू-विभाजन करवाकर अपने हक हिस्से ककी भूमि को प्राधिकृत अधिकारी के यहाँ भूमि रूपान्तरण हेतु प्रार्थना-प्रस्तुत कर आगे की कार्यवाही करवाना चाहते हैं। अप्राथी के जवाब प्रार्थना-पत्र में अंकित कथनो पर विश्वास करते हुए प्रार्थना-पत्र न्यायिक दृष्टि से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.06.2022 एवं प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)